रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I —खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2019/अग्रहायण 20, 1941
No. 383] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2019/AGRAHAYANA 20, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2019

फा.सं.10/41/2018-पीएम (पार्ट-2).—केंद्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में तारीख 2 मार्च, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की अधिसूचना संख्या 11/14/2013-पीआर, तारीख 2 मार्च, 2015 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, स्तम्भ 2 में, शीर्षक "निवेश पद्धति" के अंतर्गत श्रेणी (ii) के सामने, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित और भारत सरकार के साथ करार के अनुसार, विशेष रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयूएस), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं (सीपीएफआईएस) और दूसरे सरकारी संगठनों के बांड में निवेश करने के आशय से, नियत किसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित ऋण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफएस) की यूनिटें।"

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में संख्या 11/14/2013-पीआर, तारीख 2 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात संख्या 11/14/2013-पीआर, तारीख 12 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2019

F.No. 10/41/2018-PM (Part-2).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, No. 11/14/2013-PR, dated the 2nd March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 2nd March, 2015, the Central Government hereby makes the following amendments, namely:—

In the said notification, in the table, in column 2, under the heading "INVESTMENT PATTERN" against category (ii), after clause (f), the following clause shall be inserted namely:-

"(g) Units of Debt Exchange Traded Funds (ETFs) regulated by the Securities and Exchange Board of India and managed by an asset management company appointed as per an agreement with Government of India, specifically meant to invest in the bonds of the Central Public Sector Enterprises (CPSEs), Central Public Sector Undertakings (CPSUs), Central Public Financial Institutions (CPFIs) and other Government organizations."

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy. (Financial Markets)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, *vide* No. 11/14/2013-PR, dated the 2nd March, 2015 and subsequently amended *vide* No. 11/14/2013-PR, dated the 12th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.